अकबर राष्ट्रीय सम्राट के रूप में
(AKBAR AS NATIONAL MONARCH)

अकबर विश्व के महान सम्राटों में से एक है। उसकी दूरदर्शिता तथा विवेकपूर्ण नीतियों की सभी इतिहासकारों ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। उसके राज्यारोहण से भारत में नवीन युग का उदय हुआ। यह युग शान्ति और समृद्धि का युग था। उसने राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक तथा कला क्षेत्र में भी सामंजस्य और समन्वय की नीति के द्वारा एक सामाजिक संस्कृति का विकास किया जिसमें सभी वर्गों का योगदान था। इससे राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई और सभी क्षेत्रों में एकता स्थापित हुई। अत: सही अर्थों में उसे राष्ट्रीय सम्राट कहा जा सकता है। अकबर का कटु आलोचक **विन्सेन्ट स्मिथ** भी स्वीकार करता है कि "वह मनुष्यों का जन्मजात शासक था—इतिहास में ज्ञात सर्वशक्तिशाली सम्राटों में से एक होने का उसका दावा उचित है।"[1]

अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है क्योंकि उसने हिन्दुस्तान में राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। उसके साम्राज्य में उसकी प्रजा को समानता और धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। किसी भी आधार पर—धर्म, प्रजाति, सामाजिक स्तर—किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होता था। प्रशासन तथा न्याय के क्षेत्रों में सभी समान थे। साम्राज्य किसी एक वर्ग या धर्म के अनुयायियों का नहीं था बल्कि सम्पूर्ण प्रजा का था और सम्राट किसी एक वर्ग का शासक न होकर सभी वर्गों का शासक था। इस प्रकार अकबर ने साम्राज्य को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया।

राज्य का भारतीय स्वरूप—अकबर का प्रथम कार्य मुगलों के विदेशी स्वरूप को समाप्त करना था। मुगलों को विदेशी और आक्रमणकारी माना गया था और अफगान राजपूतों ने मिलकर बाबर को भारत से निकालने के लिये खानवा में संयुक्त प्रयत्न किया था। अकबर ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये राजपूतों से विवाह सम्बन्ध स्थापित करके मुगल राजवंश को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। उसकी विवाह नीति पूर्ववर्ती मुस्लिम शासकों से पूर्ण भिन्न थी। इन विवाहों में बल प्रयोग नहीं किया गया था बल्कि इन्हें स्वेच्छा से समानता के आधार पर किया गया था। इसमें पत्नियों या उनके परिवार के व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन नहीं किया गया था। इस प्रकार अकबर की राजपूत नीति से जो समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और सद्भावना पर आधारित थी, मुगल राजवंश को राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हुआ, एक ऐसे शासक वर्ग का निर्माण हुआ जिसमें राजपूत सम्मिलित थे। साम्राज्य की विजयों में मुस्लिम सैनिकों के साथ राजपूत सैनिकों का भी योगदान था जिससे साम्राज्य के निर्माण में भी राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई।

(1) **राजनीतिक व प्रशासनिक एकता**—अकबर ने भारत की राजनीतिक एकता स्थापित करने में साम्राज्यवादी नीति का पालन किया। राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिये राजनीतिक एकता स्थापित करना आवश्यक था। उसकी राजपूत नीति या विभिन्न विद्रोहों की दमन नीति को इसी परिपेक्ष्य में देखना चाहिए। उसने अपने युद्धों को धर्म युद्ध घोषित नहीं किया था। उसने इस्लाम के प्रसार की या दार-उल-हर्ब को दार-उल-इस्लाम बनाने की घोषणा नहीं की। उसने राजपूतों के समक्ष मुगल सार्वभौमिकता को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। इसी प्रकार का प्रस्ताव उसने दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के समक्ष रखा था। उसे रूढ़िवादियों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। अगर एक ओर राणा प्रताप ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार किया तो दूसरी

ओर, अफगानों, उजबेगों तथा धर्मांध मुस्लिम तत्वों ने उसे हटाकर इस्लामी राज्य की स्थापना का प्रयास किया। अकबर अपनी सूझ-बूझ से सफल हुआ और उसने भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की।

मौर्य सम्राटों के समान अकबर ने समस्त साम्राज्य में प्रशासनिक एकता स्थापित की। यह प्रशासनिक व्यवस्था जनकल्याणकारी भावना से प्रेरित थी। इसमें बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान अधिकार तथा संरक्षण प्राप्त थे। सभी प्रान्तों, सरकारों तथा परगनों में एकसमान प्रशासन तंत्र था। यह इस्लामी राज्य नहीं था, बल्कि प्रशासन के सभी पद योग्यता के आधार पर सभी धर्मों के अनुयायियों के लिये खोल दिये गये थे धार्मिक भेदभाव समाप्त होने से सभी नागरिकों को समानता प्राप्त हो गई थी। यह प्रशासन सहिष्णुता तथा लोक-कल्याण की भावना से प्रेरित था। राज्य के नियम सभी व्यक्तियों पर एकसमान रूप से लागू थे।

डॉ. आर. पी. त्रिपाठी लिखते हैं कि "उसने देश को एक-छत्र के अन्तर्गत लाने के लिये यथाशक्ति समान शासन-प्रणाली, न्याय व्यवस्था तथा मालगुजारी बन्दोबस्त लागू किया और व्यापार के विकास के लिए समान सिक्के तथा नियम कार्यान्वित किये। यदि दक्षिण की सल्तनतें उसकी योजना भली-भाँति समझकर उससे सहयोग कर पातीं तो भारत सम्भवत: यूरोप और एशिया का सबसे अधिक सशक्त तथा समृद्ध देश होता और उसका इतिहास दूसरा होता।"

(2) **धार्मिक एकता**—राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की दिशा में अकबर का साहसिक और मौलिक कार्य धार्मिक क्षेत्र में था। सल्तनत काल में उसके पूर्ववर्ती शासकों ने इस्लामी राज्य की अवधारणा के अनुसार शरियत का पालन करते हुए हिन्दुओं पर विभेदक कर लगाये थे तथा धार्मिक अत्याचार किये थे। अकबर ने बलपूर्वक धर्मपरिवर्तन को समाप्त कर दिया, तीर्थ-यात्रा कर तथा जजिया कर को समाप्त करके हिन्दुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। अब हिन्दू काफिर और द्वितीय श्रेणी के नागरिक नहीं थे। यह धार्मिक स्वतंत्रता अकबर की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और इसके आधार पर निश्चय ही उसे राष्ट्रीय सम्राट कहा जा सकता है। वह हिन्दुओं का भी उसी प्रकार सम्राट था, जिस प्रकार मुसलमानों का। विभिन्न धर्मावलम्बियों के मध्य सामाजिक सम्बन्ध तथा सहानुभूति का वातावरण निर्मित करने के लिये उसने विभिन्न उपाय किये। **'सुलहकुल्'** की नीति अपनाकर उसने हिन्दुओं की निष्ठा प्राप्त कर ली। इबादतखाने की स्थापना, महजर, दीन-ए-इलाही धार्मिक सद्भावना तथा समन्वय की दिशा में उसके महत्वपूर्ण कार्य थे।

(3) **सामाजिक एकता**—राजनीतिक समानता के द्वारा और धार्मिक भेदभाव के समाप्त हो जाने से सामाजिक एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। अकबर के शासन काल में पहली बार एक ऐसी भारतीय सामाजिक संस्कृति का निर्माण हुआ जिसमें हिन्दू और मुस्लिम आदर्शों का समन्वय हुआ था। मुगल अमीर वर्ग में हिन्दू और मुस्लिम दोनों पदाधिकारी थे। इससे मुगल दरबार में सामाजिक संस्कृति का विकास हुआ। वस्त्र, रहन-सहन, भाषा, शिष्टाचार की एकसमान संस्कृति को मुगल मनसबदारों ने अपनाया। मुगल दरबार में नौरोज का पारसी पर्व, ईद-शबेरात आदि मुस्लिम पर्व तथा दीपावली-दशहरा आदि हिन्दू पर्व मनाये जाते थे। इन पर्वों को संयुक्त रूप से मनाने से सामाजिक स्तर पर हिन्दू-मुस्लिम समाज में निचले स्तरों पर भी समन्वय हुआ। अकबर को हिन्दुओं का विश्वास प्राप्त था। अत: सामाजिक क्षेत्र में अकबर हिन्दू समाज में सुधार कार्य भी कर सका। उसने गौ-वध, सती-प्रथा, कन्या-वध, जैसी कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। उसने बाल-विवाह को भी बंद करा दिया। इस प्रकार हिन्दुओं और मुसलमानों के सामाजिक आदर्शों को निकट लाकर सामाजिक एकता स्थापित करने का प्रयास अकबर ने किया जैसा उससे पहले किसी शासक ने नहीं किया था।

(4) **आर्थिक एकता**—एक इस्लामी राज्य में आर्थिक आधार पर भी भेदभाव किया जाता था। हिन्दुओं पर जजिया, तीर्थ कर आदि समाप्त करके अकबर ने कर प्रणाली को समानता के आधार पर गठित किया। चुंगी के मामले में हिन्दुओं को 5% तथा मुसलमानों पर 2.5% लगाने की भेद-भावपूर्ण प्रणाली थी। इसे भी अकबर ने समाप्त कर दिया। इस प्रकार कर प्रणाली को सभी वर्गों के लिये समान बनाया गया। शासकीय सेवाओं में हिन्दुओं और मुसलमानों का अन्तर समाप्त कर दिया गया और शासकीय सेवा के आर्थिक लाभ हिन्दुओं को भी प्राप्त हुए। अकबर का उद्देश्य लोक-कल्याणकारी राज्य स्थापित करना था जिसमें उसकी प्रजा के सभी वर्गों की अधिक समृद्धि हो। इसके लिये उसने भू-राजस्व प्रणाली को पुनर्गठित किया जिसका लाभ कृषकों को प्राप्त हुआ जो अधिकांश हिन्दू थे। अकबर ने राज्य की ओर से आर्थिक सहायता देने में भी समानता का दृष्टिकोण अपनाया

और राज्य की आर्थिक सहायता सभी वर्गों को प्रदान की। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में भी साम्राज्य का राष्ट्रीय स्वरूप स्थापित किया गया।

(5) **सांस्कृतिक एकता : भारतीय इस्लामिक संस्कृति का विकास**—अकबर के प्रयासों से सांस्कृतिक एकता स्थापित हुई और इण्डो-इस्लामिक संस्कृति का विकास हुआ। उसने फारसी को राज्य की भाषा बनाया और एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिसने अन्य भाषाओं; जैसे—संस्कृत, अरबी, यूनानी और तुर्की ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद किया। उसके दरबार में विभिन्न भाषाओं के विद्वान थे जिन्हें उसने राज्याश्रय प्रदान किया था। उसके काल में ही हिन्दी के श्रेष्ठ ग्रन्थों की रचना की गई। अब्दुर्रहीम खानखाना उसके दरबार का श्रेष्ठ हिन्दी कवि था जिसका महाकवि तुलसीदास से घनिष्ठ परिचय था। अकबर के उदार शासन काल में तुलसी ने रामचरितमानस तथा सूरदास के कृष्ण-भक्ति के अमर गीतों की रचना की थी। कला के क्षेत्र में भारतीय-इस्लामी शैलियों के मिश्रण से नवीन शैली का जन्म हुआ। इस राष्ट्रीय शैली के अनुपम उदाहरण फतेहपुर सीकरी में आज भी देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार चित्रकला तथा संगीत के क्षेत्रों में भी समन्वय हुआ। अकबर के दरबार में उत्कृष्ट चित्रकार तथा संगीतकार थे जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों ही कलाकार थे जिन्हें अकबर के उदार वातावरण में नवीन शैलियों को विकसित करने का अवसर प्राप्त हुआ था।

निष्कर्ष—अकबर की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक एकीकरण तथा समन्वय की नीतियों के कारण उसे राष्ट्रीय सम्राट कहना युक्तिसंगत है। इस राज्य में सभी वर्गों को समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, सम्मान प्राप्त था और किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं था। अकबर सभी वर्गों का सम्राट था और सभी वर्गों को समृद्ध तथा सुखी बनाना उसका उद्देश्य था। विभिन्न वर्गों को निकट लाकर एक राष्ट्र के निर्माण का महान कार्य उसने आरम्भ किया था। भारतीय इतिहास में उसे इसीलिये महान कहा गया है क्योंकि मध्यकाल में वही एकमात्र सम्राट था जिसने इस कार्य को किया था। बाद के शासकों में इतनी क्षमता, दूरदर्शिता, शक्ति- सम्पन्नता नहीं थी कि वे इस कार्य को पूर्णता तक पहुँचाते। अत: यह महत्वपूर्ण उद्देश्य असफल हो गया। अकबर प्रशंसा का पात्र है क्योंकि उसने इस कार्य को करने का गम्भीर प्रयत्न किया था। **मैलेसन** का यह कथन महत्वपूर्ण है, "जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि उसने क्या किया, किस युग में किया तो हम इस बात को स्वीकार करने के लिये बाध्य हो जाते हैं कि सम्राट उन महान विभूतियों में से था जिन्हें परमात्मा राष्ट्रीय आपत्ति के समय शान्ति तथा सहिष्णुता के मार्ग पर चलने के लिये भेजता है जिससे लाखों लोगों को सुख मिल सके।"

के. टी. शाह ने अकबर के राष्ट्रीय दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि "अकबर की महानता इस कारण थी कि वह पूर्णतया भारतीय हो गया था। उसकी प्रतिभा ने हिन्दू और मुसलमान दो जातियों को एक विशाल साम्राज्य की समान सेवा तथा नागरिकता के बंधनों द्वारा एक राष्ट्र के रूप में परिणित करने की सम्भावना का अनुभव कर लिया और उसके उत्साह ने यह कार्य सम्पादित किया।"